# प्रिलिम्स फैक्ट्स (01 Oct, 2020)

drishtiias.com/hindi/current-affairs-news-analysis-editorials/prelims-facts/2020-10-01/print

## प्रिलिम्स फैक्ट्स: 01 अक्तूबर, 2020

### अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इन्क्यूबेशन मिशन

### Ambedkar Social Innovation & Incubation Mission

30 सितंबर, 2020 को केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति के छात्रों के बीच नवाचार एवं उद्यम को बढ़ावा देने के उद्देश्य से **वेंचर कैपिटल फंड** के तहत **'अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इनक्यूबेशन मिशन'** (Ambedkar Social Innovation & Incubation Mission- ASIIM) का शुभारंभ किया।

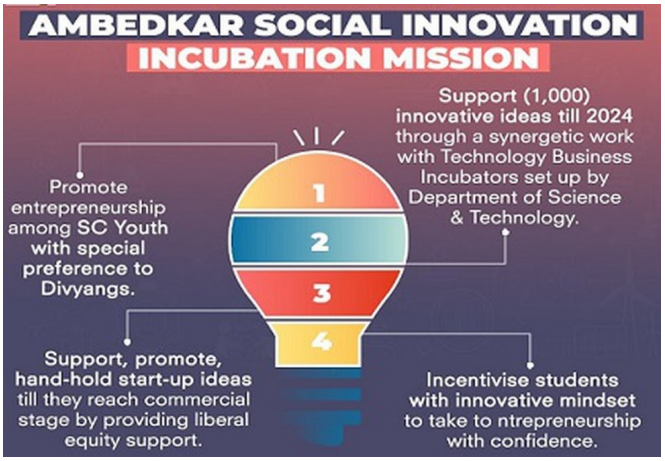


### अनुसूचित जाति के लिये वेंचर कैपिटल फंड

### (Venture Capital Fund for SCs):

- केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने अनुसूचित जाति/दिव्यांग युवाओं में उद्यमिता का विकास करने और उन्हें 'नौकरी देने वाले' बनने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से वर्ष 2014-15 में अनुसूचित जाति के लिये वेंचर कैपिटल फंड (Venture Capital Fund for SCs) की शुरुआत की थी।

- **उद्देश्य:** इस फंड का उद्देश्य अनुसूचित जाति के उद्यमियों की संस्थाओं को रियायती वित्त प्रदान करना है। इस फंड के तहत अनुसूचित जाति के उद्यमियों द्वारा प्रोन्नत 117 कंपनियों को बिज़नेस वेंचर स्थापित करने के लिये वित्तीय सहायता मंज़ूर की गई है।

## 'अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इनक्यूबेशन मिशन' (ASIIM):

इस पहल के तहत देश के विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रौद्योगिकी व्यापार इनक्यूबेटर (Technology Business Incubators- TBIs) के माध्यम से अगले 4 वर्षों में स्टार्ट-अप आधारित विचारों के साथ अनुसूचित जाति के 1000 युवाओं की पहचान की जाएगी।

जिसके बाद उन्हें इक्विटी फंडिंग के तौर पर 3 वर्ष में 30 लाख रुपए का फंड दिया जाएगा ताकि वे अपने स्टार्ट-अप स्थापित करने के विचार को वाणिज्यिक उद्यम में परिवर्तित कर सकें।

सफल उपक्रम के लिये आगे की निधि हेतु 'अनुसूचित जाति के लिये वेंचर कैपिटल फंड' से 5 करोड़ रुपए तक की वेंचर फंडिंग के लिये अर्हता प्राप्त करेंगे।

**अनुसूचित जाति के लिये वेंचर कैपिटल फंड (VCF-SC) के तहत अब तक प्रदान की गई वित्तीय मदद:**

- ASIIM पहल को 'वेंचर कैपिटल फंड फॉर एससी' (VCF-SC) द्वारा लागू किया जाएगा जिसे वर्ष 2016 में 500 करोड़ रुपए की निधि के साथ स्थापित किया गया था।

  अपनी स्थापना के बाद से VCF-SC ने 118 कंपनियों को 444.14 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है।
- स्टार्टअप्स उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिये केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने अभिनव एवं प्रौद्योगिकी आधारित विचारों पर कार्य करने वाले युवा अनुसूचित जाति उद्यमियों की संस्थाओं/कंपनियों को इक्विटी सहायता प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिये अनुसूचित जातियों के लिये वेंचर कैपिटल फंड (VCF-SC) के दिशा-निर्देशों में संशोधन किया है।

## लाभ:

अनुसूचित जाति के लिये वेंचर कैपिटल फंड के तहत ASIIM पहल से अनुसूचित जाति के युवाओं में नवाचार को बढ़ावा मिलेगा।

- नौकरी चाहने वालों से, 'नौकरी देने वालों में' तब्दील होने में मदद मिलेगी।
- 'स्टैंड अप इंडिया' पहल को बढ़ावा मिलेगा।

उत्तराखंड पी.सी.एस. अध्ययन सामग्री
सामान्य अध्ययन (प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा)
28 बुकलेट्स
Click Here

## ब्रह्मोस मिसाइल

## BrahMos Missile

30 सितंबर, 2020 को स्वदेशी बूस्टर एवं एयरफ्रेम सेक्शन के साथ ही कई अन्य 'मेड इन इंडिया' उप प्रणालियों से युक्त सतह-से-सतह तक मार करने वाली सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल ब्रह्मोस (BrahMos) का ओडिशा में एकीकृत परीक्षण रेंज, बालासोर से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया।

## विशेषताएँ:

- ब्रह्मोस मिसाइल एक मध्यम दूरी की रैमजेट सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल है जिसे पनडुब्बियों, युद्धपोतों, लड़ाकू जेट या जमीन से लॉन्च किया जा सकता है।
- ब्रह्मोस लैंड-अटैक क्रूज़ मिसाइल (BrahMos Land-Attack Cruise Missile- LACM) की अधिकतम गति मैक 2.8 है।
- इस मिसाइल का वजन लगभग 2.5 टन है और इसकी मारक क्षमता लगभग 300 किमी. है।

## संयुक्त उपक्रम:

इस मिसाइल को **रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन**(DRDO) और रूस के संघीय राज्य एकात्मक उद्यम '**एनपीओ माशिनोस्त्रोएनिया**' (NPO Mashinostroyenia- NPOM) द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है जो रूस का एक प्रमुख एयरोस्पेस उद्यम है।

गौरतलब है कि यह परीक्षण ऐसे समय में हुआ है जब चीन के साथ जारी गतिरोध में किसी भी खतरे से निपटने के लिये ब्रह्मोस को लद्दाख एवं अरुणाचल प्रदेश में पूर्वी सेक्टर में तैनात किया गया है।

उत्तर प्रदेश पी.सी.एस. अध्ययन सामग्री
सीसैट (प्रारंभिक)
10 बुकलेट्स
Click Here

## वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस

## International Day of Older Persons

प्रत्येक वर्ष **01 अक्तूबर** को '**वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस**' (International Day of Older Persons) मनाया जाता है।

## उद्देश्य:

**इस दिवस का उद्देश्य बढ़ती उम्र के प्रभाव के बारे में जागरूकता फैलाना तथा वृद्ध लोगों को गरिमा के साथ जीवन जीने का अवसर प्रदान करना और उन बिंदुओं के बारे में लोगों को जागरूक करना जो वृद्धों को प्रभावित कर रहे हैं जैसे- बुढ़ापा या वार्धक्य (Senescence) एवं बुजुर्गों से दुराचार।**

## थीम:

वर्ष 2020 के लिये 'वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस' की थीम '**महामारी: क्या बुजुर्ग लोग उम्र एवं बुढ़ापे का सामना करने के लिये स्वयं को बदलने के लिये तैयार हैं**(Pandemics: Do They Change How We Address Age and Ageing) है।

## प्रमुख बिंदु:

इस दिवस उन वृद्ध व्यक्तियों का सम्मान करने के लिये मनाया जाता है जो समाज के लिये अपना योगदान देते हैं।

वृद्ध लोग स्वैच्छिक कार्य के माध्यम से अपने अनुभव एवं ज्ञान का प्रसार करते हैं तथा देखभाल करने वाली ज़िम्मेदारियों के साथ अपने परिवारों की मदद करते हैं और भुगतान आधारित श्रम बल में भाग लेने के माध्यम से समाज में बहुत बड़ा योगदान देते हैं।

## पृष्ठभूमि:

- 14 दिसंबर, 1990 को संयुक्त राष्ट्र महासभा (संकल्प 45/106 द्वारा) ने **1 अक्तूबर** को 'वृद्ध व्यक्तियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस' के रूप में नामित किया था।

  संयुक्त राष्ट्र के इस निर्णय ने '**वृद्धावस्था पर वियना इंटरनेशनल प्लान ऑफ एक्शन**' (Vienna International Plan of Action on Aging) का स्थान लिया जिसे **वर्ष 1982** की **वृद्धावस्था पर विश्व सभा** (World Assembly on Aging) में अपनाया गया था।
- वर्ष 1991 में संयुक्त राष्ट्र महासभा (संकल्प 46/91 द्वारा) ने **वृद्ध व्यक्तियों के लिये संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों** को अपनाया।
- वर्ष 2002 में **वृद्धावस्था पर दूसरी विश्व सभा** (Second World Assembly on Aging) ने 21वीं सदी में वृद्ध होती जनसंख्या के अवसरों एवं चुनौतियों से निपटने के लिये तथा सभी उम्र के लोगों के लिये एक समाज के विकास को बढ़ावा देने के लिये '**वृद्धावस्था पर मैड्रिड इंटरनेशनल प्लान ऑफ एक्शन**' (Madrid International Plan of Action on Aging) को अपनाया।

## महत्त्व:

इस दिवस को मनाने से वृद्ध व्यक्तियों पर COVID-19 के प्रभाव तथा स्वास्थ्य देखभाल नीति, योजना एवं दृष्टिकोण पर COVID-19 के प्रभाव के बारे में समझ बढ़ेगी।

उत्तर प्रदेश पी.सी.एस. अध्ययन सामग्री
सामान्य अध्ययन + सीसैट (प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा)
43 बुकलेट्स
Click Here

## भारती लिपि

## Bharati Script

भारती लिपि (Bharati Script) एक सामान्य लिपि के रूप में तैयार की गई है जो सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं को व्यक्त कर सकती है।

## प्रमुख बिंदु:

- **लिपि** (Script) एक विशेष भाषा को लिखने के लिये उपयोग किये जाने वाले अक्षरों के समूह को संदर्भित करती है। जैसे- देवनागरी, रोमन आदि।
- भारती लिपि को IIT मद्रास में **श्रीनिवास चक्रवर्ती** (Srinivasa Chakravarthy) की टीम ने विकसित किया है।
- भारती एक सरल एवं एकीकृत लिपि है जिसका उपयोग अधिकांश प्रमुख भारतीय भाषाओं को लिखने के लिये किया जा सकता है।
- इसे विभिन्न भारतीय भाषाओं/लिपियों एवं अंग्रेजी भाषा से सरल अक्षरों को उधार लेते हुए सरलतम आकृतियों का उपयोग करके बनाया गया है।
- यह लिपि हिंदी/मराठी, तमिल, तेलुगू, गुजराती, पंजाबी (गुरुमुखी), बंगाली, उड़िया, कन्नड़ एवं मलयालम का समर्थन करती है।

## तकनीक का प्रयोग:

- **ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन (Optical Character Recognition- OCR):** IIT मद्रास की एक टीम ने बहु-भाषी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन (OCR) प्रणाली का उपयोग करते हुए भारती लिपि में दस्तावेज़ पढ़ने की एक विधि विकसित की है।
    **OCR** एक ऐसी प्रणाली है जो केवल प्रपत्र को स्कैन करके इलेक्ट्रॉनिक गति से मुद्रित या हस्तलिखित अक्षरों की पूर्ण अल्फान्यूमेरिक पहचान प्रदान करती है।
- **फिंगर-स्पेलिंग विधि (Finger-spelling Method): इसका उपयोग श्रवण-बाधित व्यक्तियों के लिये एक सांकेतिक भाषा उत्पन्न करने के लिये किया जा सकता है।**
- संबंधित अनुप्रयोग/उपकरण: भारती हैंडराइटिंग की-बोर्ड (Bharati Handwriting Keyboard) और भारती लिप्यंतरण (Bharati Transliterator)।
    - लिप्यंतरण (Transliterator) अक्षर को एक वर्णमाला या भाषा से दूसरी वर्णमाला के समान-ध्वनि वाले वर्णों में बदलता है। यह अनुवाद (Translation) से भिन्न है जो एक भाषा में शब्दों को उन लोगों द्वारा समझने की अनुमति देता है जो दूसरी भाषा बोलते हैं।
    - लिप्यंतरण (Transliterator), भाषा को उन लोगों के लिये थोड़ा अधिक सुलभ बनाता है जो उस भाषा की वर्णमाला से अपरिचित हैं।
    - लिप्यंतरण (Transliterator) अर्थ से अधिक उच्चारण पर केंद्रित होता है जिसे विदेशी लोगों से या स्थानों एवं संस्कृतियों की चर्चा करते समय विशेष रूप से उपयोग किया जाता है।

**महत्त्व:**

- यह **'एक राष्ट्र-एक लिपि'** (One Nation-One Script) के अनुरूप है।
- रोमन लिपि का उपयोग कई यूरोपीय भाषाओं (अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, इतालवी आदि) के लिये एक सामान्य लिपि के रूप में किया जाता है जो उन भाषाओं को बोलने एवं लिखने वाले राष्ट्रों में संचार की सुविधा प्रदान करता है। इसी तरह पूरे देश के लिये एक सामान्य (भारती) लिपि भारत में कई संचार बाधाओं को कम कर सकती है।
- यह भारतीयों की अगली पीढ़ी को आसानी से भारतीय भाषाओं में पढ़ने में मदद कर सकती है।
- यह कोंकणी या तुलु जैसी भाषाओं के लिये एक आदर्श लिपि है जिनकी कोई अपनी लिपि नहीं है।
- यह भारत की असंख्य जनजातीय भाषाओं और पूर्वोत्तर भारत की भाषाओं के लिये एक लेखन प्रणाली के रूप में कार्य कर सकती है।
- यह प्रवासी भारतीयों के लिये एक लिंक लिपि के रूप में कार्य कर सकती है जो कार्य के लिये अपने मूल राज्य से बाहर चले जाते हैं।
- यह लाखों अनिवासी भारतीय (Non Resident Indian- NRI) बच्चों को भारतीय साहित्य से जोड़ सकती है।
- यह भारतीय भाषाओं के लिये ब्रेल लिपि (नेत्रहीनों के लिये) की एक नई प्रणाली और यहाँ तक कि श्रवण-बाधित लोगों के लिये एक 'फिंगरस्पेलिंग प्रणाली' (Fingerspelling system) का नेतृत्त्व कर सकती है।
- यह 6 महीने से लेकर कुछ सप्ताह तक वयस्क साक्षरता कार्यक्रमों की अवधि को छोटा कर सकती है क्योंकि इस लिपि को सीखना अत्यंत आसान है।

---

## Rapid Fire (करेंट अफेयर्स): 01 अक्तूबर , 2020

**भारत व नीदरलैंड के मध्य समझौता**

भारत के नीति आयोग और नई दिल्ली स्थित नीदरलैंड के दूतावास ने स्वच्छ और अधिक ऊर्जा को प्राप्त करने के लिये डी-कार्बोनाइज़ेशन और ऊर्जा संक्रमण एजेंडा का समर्थन करने हेतु स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट (Statement of Intent-SOI) पर हस्ताक्षर किये हैं। नीदरलैंड के राजदूत के अनुसार, यह SOI न केवल दो देशों की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा, बल्कि संयुक्त राष्ट्र सतत् विकास लक्ष्यों (SDG) को हासिल करने में भी सहायता करेगा। भारत और नीदरलैंड अपने ऊर्जा क्षेत्र में लगातार बदलाव ला रहे हैं, ये दोनों ही देश इस बात के लिये प्रतिबद्ध हैं कि इस SOI के तहत शुरू की गई विभिन्न पहलें दोनों देशों को जलवायु-अनुकूल अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ने में सहायता करेंगी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार के अनुसार, कम कार्बन तकनीकों में डच विशेषज्ञता के साथ संयुक्त रूप से लागत-प्रभावी तरीके से उच्च-तकनीकी समाधानों को तैयार करने में भारत की विशेषज्ञता आगे इंडो-डच सहयोग को ठोस बनाने में मदद करेगी। ये दोनों देश डी-कार्बोनाइजेशन और ऊर्जा संक्रमण एजेंडा प्राप्त करने की दिशा में सफलतापूर्वक काम करेंगे।

### भारतीय खेल प्राधिकरण का नया लोगो

खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने दिल्ली के मेजर ध्यान चंद स्टेडियम में भारतीय खेल प्राधिकरण (Sports Authority of India) का नया लोगो जारी किया है। इस अवसर पर खेल सचिव रवि मित्तल, भारतीय ओलम्पिक संघ के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा, और भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक संदीप प्रधान उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में जाने माने खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और खेल प्रेमियों ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया। भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना वर्ष 1984 में देश में खेल वातावरण तैयार करने के लिए की गई थी और यह ज़मीनी स्तर पर देशभर से खिलाड़ियों की पहचान करके उनकी प्रतिभा को विकसित करता है। नया लोगो खेल की उत्कृष्टता का निर्माण करने के लिए ज़मीनी स्तर पर खेल प्रतिभाओं को पहचानने और उन्हें विकसित करने में भारतीय खेल प्राधिकरण की महत्त्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है।

### ऐस्टरॉयड माइनिंग रोबोट

चीन ऐस्टरॉयड के खनन के लिये एक रोबोट स्पेस में भेज रहा है। यह रोबोट इस वर्ष के अंत तक भेजा जाएगा। ऐस्टरॉयड पर मौजूद मूल्यवान खनिज संसाधन के खनन पर चीन की नज़र है। ऑरिजन स्पेस (Origin Space) लॉन्ग मार्च रॉकेट से नवंबर में लॉन्च किया जाएगा। दरअसल ऐस्टरॉयड मूल्यवान खनिज संसाधन से परिपूर्ण होते हैं, ऐसे में चीन की नज़र सोना, चाँदी और कोबाल्ट जैसे मूल्यवान संसाधनों पर टिकी हुई हैं। चीन अंतरिक्ष अनुसंधान में भी तेजी से आगे बढ़ने के लिये इस प्रकार के कदम उठा रहा है। ऑरिजन स्पेस बीजिंग में स्थित एक निजी कंपनी है। यह वास्तव में वास्तविक खनन के लिये एक प्री क्रूसर मिशन है। इसे चीनी नेशनल स्पेस ऐडमिनिस्ट्रेशन ऑपरेट करेगा। इसे नियो-1 नाम दिया गया है। जो खनन करने के लिये ज़रूरी टेक्नॉलजी को टेस्ट करेगा। स्पेस में खनन पर दुनिया के शक्तिशाली देशों की निगाहें हैं। ऐस्टरॉयड खनन एक साइंस फिक्शन मूवी जैसा है, जो काफी विवादित है। यदि यह परियोजना सफल होती है, तो एक ट्रिलियन डॉलर का उद्योग खुल सकता है।

### सड़क दुर्घटना के संदर्भ में नए नियम

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सडक दुर्घटना के दौरान दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की सहायता करने वालों के लिये नए नियम प्रकाशित किये हैं। इनमें दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की सहायता करने वाले लोगों के अधिकारों की रक्षा का प्रावधान किया गया है। नए नियमों के तहत इन व्यक्तियों के साथ सम्मानजनक तरीके से व्यवहार किया जायेगा और धर्म, राष्ट्रीयता, जाति या महिला तथा पुरूष के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जायेगा। कोई भी पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति इन्हें अपना नाम, पहचान, पता और अन्य कोई व्यक्तिगत जानकारी देने के लिये विवश नहीं कर सकता है।